

**राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग**

क्रमांक:प.1(4)वित्त/राजस्व/2026

जयपुर, दिनांक: 11.08.2026

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के सुपर टाईम संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि से वर्ष 2026-27 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) व 8(4बी) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के हायर सुपर टाईम संवर्ग (एल-24) में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :

क्र.सं	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ)	प्रवर्ग	रिक्ति की तिथि
1.	हेमप्रभा		01.04.2026
2.	विश्वजीत सिंह पुरावत		23.04.2026
3.	ललित वर्मा	अजजा	23.04.2026
4.	मीना सोनगरा	अजा	23.04.2026
5.	महेन्द्र मोहन	अजा	23.04.2026
6.	भवानी सिंह मीणा	अजजा	23.04.2026
7.	मनोज शांडिल्य		23.04.2026
8.	अरविन्द दीवान		23.04.2026
9.	प्रीति शर्मा		23.04.2026
10.	जिज्ञासा गौड़		23.04.2026
11.	प्रताप सिंह पूनिया		23.04.2026
12.	नीति धीमन		23.04.2026
13.	सांवरमल		23.04.2026
14.	रमेश सांखला		23.04.2026
15.	सैयद जैनुद्दीन शाहिद (सेवानिवृत्त)		23.04.2026
16.	शिल्पी कौशिक		23.04.2026
17.	दर्शना गुप्ता		23.04.2026

18.	ज्योति भारद्वाज		01.06.2026
19.	वीना गुप्ता		01.08.2026
20.	अंजु गोयल		01.08.2026
21.	देवेन्द्र अरोड़ा		01.09.2026
22.	मनोज कुमार		01.11.2026

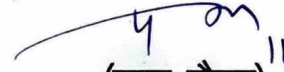
सेवारत पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों को यथा आवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की Inter-se-seniority यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन जैन) 11/8/26
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/।।) विभाग।
9. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
11. संबंधित अधिकारी।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव 11/8/26